



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, एकित भवन, लखनऊ

संख्या :- 31/1-अ0प्र0-07/पाकाति/13-09-अ0प्र0-07/12

दिनांक: 16 एप्रै, 2013

कार्यालय झाप

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत तथा पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा घोषित कम्बाइन्ड स्किनियारिटी के आधार पर 40 प्रतिशत प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत अशोनामित अवर अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) (सामान्य वर्ग) को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर, उनके नाम के सम्मुख अंकित इकाई पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) (सामान्य वर्ग) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि वे पूर्व परिषदादेश संख्या 485-ए-आर/राविपि-01-28-एआर/89 दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेगे :-

विद्युत एवं यंत्रिक संवर्ग (40 प्रतिशत) सामान्य वर्ग

क्र0 सं0	अवर अभियन्ता का नाम पिता का नाम/ट्रेड/जन्मतिथि/गृह जनपद/वरिष्ठता क्रमांक सर्वश्री	वर्तमान तैनाती	प्रस्तावित तैनाती/ आवंटन ईकाई	अभिज्ञान सं0
1	रमेश चन्द्र पुत्र श्री मुंशी लाल वि0/11.10.79/अलीगढ़/8533/अनु0जाति	वि0वि0माल-1, बुलन्दशहर	पश्चिमांचल	2013041

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे:-

श्री चन्द, अवर अभियन्ता द्वारा सहायक अभियन्ता पद पर कार्यभार प्रमाण पत्र भरने से पूर्व उनके नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि:-

- अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयंत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
- अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण न चल रहा हो।
- अवर अभियन्ता के विरुद्ध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो प्रोन्नत अवर अभियन्ता को कार्यमुक्त करने से पूर्व विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।
- सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा वे उपर्युक्त आवंटित अधिकारी की तैनाती उ0प्र0 पा0का0लि0 में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करेंगे तथा तैनाती प्रस्ताव पर द्वि-सदस्यीय समिति का पूर्वानुमोदन भी प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सक्षम अधिकारी का यह भी दायित्व होगा वे उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त आवंटित अधिकारियों को एक माह में कार्यभार ग्रहण कराना भी सुनिश्चित करेंगे।

18

18

प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 3141(1)-अप्र0-27/पाव.ति/2013, तदुद्दिनांक

पतिलिपि निम्नलिखित को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित है संबंधित अवर अभियन्ता को सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति हेतु अनुसूचित कर रहे हैं पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि :-

- (क) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अप्रमाण संयन्त्र, एडरर सामग्री अवशेष न हो।
(ख) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी प्रक्रिया चल रहा हो।

- 1 अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3 प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 4 प्रबंध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
- 5 निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/निदेशक (वितरण)/निदेशक(वितरण), उ0प्र0 पावर का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6 मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अधुक्ता के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारी का प्रशिक्षण पाठक्रम आयोजित कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करें।
- 7 मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8 अधिशासी अभियन्ता (Website), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
- 9 सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पा0का0लि0।
- 10 सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 पा0का0लि0।
- 11 उप सचिव (अ0प्र0-04), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 12 लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 13 अनुभाग अधिकारी, (अ0प्र0-04)/मोपन अनुभाग, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 14 संबंधित अधिकारीगण।
- 15 गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से,

Shree

(सुबोध कुमार शर्मा)

उप सचिव